क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मे0 सेल मोईल फेरो एलायज प्रा.लि. द्वारा फेरो एलाय प्लाण्ट (फेरो मैग्नीज–30000 एमटीपीए) (सिलिका मैग्नीज–75000 एमटीपीए) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में दिनांक 23.03.2011 को आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही।

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत **मे0 सेल मोईल फेरो एलायज प्रा.लि. द्वारा फेरो एलाय प्लाण्ट (फेरो मैग्नीज–30000 एमटीपीए) (सिलिका मैग्नीज–75000 एमटीपीए) के पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई की तिथि 23.03.2011 निर्धारित कर समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, रायपुर दिनांक 16.02.2011 एवं हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली दिनांक 17.02.2011 के प्रकाशन में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। ई.आई.ए.अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय, दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय, दुर्ग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग, नगर पंचायत अहिवारा जिला दुर्ग, ग्राम पंचायत सण्डी जिला दुर्ग, ग्राम पंचायत खाकाडीह, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत मलपुरी खुर्द, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत बानबरद, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत हिंगनाडीह, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत ढौर, जिला–दुर्ग, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, ई/3240, अरेरा कालोनी, भोपाल, डायरेक्टर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय 1–तिलक नगर, शिव मंदिर चौक, मेन रोड अवन्ती विहार रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई में रखवाई गई थीं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 23.03.2011 दिन बुधवार दोपहर 12:00 बजे श्री जे.पी. पाठक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला– दुर्ग की अध्यक्षता में प्रस्तावित उद्योग स्थल खसरा नंबर– 458 नंदिनी माइन्स, पो0 अहिवारा तहसील धमधा, जिला–दुर्ग में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग द्वारा संक्षिप्त उद्बोधन के उपरांत लोक सुनवाई आरंभ करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात् सर्वप्रथम श्री ए0 सी0 मालू , क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया पर प्रकाश डाला गया।

साथ ही प्रस्तावित उद्योग के उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई। इसके पश्चात् प्रस्तावित उद्योग के कंसल्टेंन्ट श्री मंसूर आलम, एनविजन इन्वायरो इंजीनियर्स प्रा.लि. के द्वारा प्रस्तावित उद्योग के संबंध में तकनीकी विवरण के साथ जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, वृक्षारोपण आदि के साथ वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति एवं सी.एस.आर. आदि के संबंध में जन सामान्य को अवगत कराया गया। उद्योग की ओर से श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना द्वारा संक्षेप में मे0 सेल एण्ड मॉयल फैरो एलायज प्रा. लि. द्वारा प्रस्तावित उद्योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

तत्पश्चात अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित उद्योग के संबंध में पर्यावरणीय सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से निम्नलिखित लोगों द्वारा प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई :–

1. **श्री रविशंकर सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष , अहिवारा जिला–दुर्ग।**

- उद्योग की स्थापना एक बहु प्रतीक्षित मांग है। हम इस परियोजना का स्वागत करते है।
- हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।
- MoEF के अंतर्गत बनाये गये नियमों का पालन किया जावे।
- जैव विविधता का संरक्षण किया जाये।
- जल प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आदि पर्यावरण संबंधी सभी अधिनियमों एवं नियमों का पालन किया जाये।
- उद्योग को शासन द्वारा बनाये गये नियम का पालन करना होगा।
- स्थानीय बेरोजगारों को संयंत्र में नौकरी पर रखा जाये। ठेकेदारी प्रथा न हो।
- संयंत्र में तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।
- जब कंपनी की दोनों भागीदार कंपनियां सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैं, तो प्रस्तावित कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड क्यों बनाया गया है ?
- राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय नीति का पालन हो।
- अपने सामुदायिक दायित्वों का पालन करना होगा।

2. **श्री आर.बी. के. राव, इंटक, भिलाई जिला–दुर्ग।**

- उद्योग द्वारा 104 एकड़ भूमि ली जा रही है। इसमें कितने पेड़ हैं ? इनमें से कितने पेड़ कांटे जायेगें ?
- क्या इस भूमि में स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किये जाने वाली पगडंडी और सड़कें भी शामिल हैं यदि हां तो इससे स्थानीय लोगों के आवागमन का मार्ग बढ़ जायेगा ?
- लोडिंग अनलोडिंग के दौरान डस्ट उड़ेगा, उसकी रोकथाम कैसे करेंगे ?
- प्रक्रिया से गैसेस, सिलिका डस्ट, मैग्नीज डस्ट आदि उत्पन्न होंगी। इस पर नियंत्रण हेतु क्या कार्यवाही करेंगे ?
- उद्योग में हाइड्रोजियोलॉजिकल पानी लेने की बात कही जा रही है, इन स्त्रोतों की रि–फीलिंग कैसे की जायेगी ?

- वर्कर्स की संख्या के आधार पर अस्पताल का विस्तार किया जाना चाहिए ?
- मोईल के कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप उनके बच्चों के पढ़ने के लिये स्कूल एवं टीचर्स की संख्या बढ़ाई जाये ?
- कंपनी किस एक्ट का पालन करेगी ? आईबीएम. एक्ट या छत्तीसगढ़ श्रम कानून ?

3. **श्री वकील ताण्डी, अधिवक्ता, अहिवारा, जिला–दुर्ग।**

- कंपनी द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया जायेगा ?
- उद्योग में सेल एवं मोईल के कर्मचारियों को ही रोजगार दिया जायेगा या स्थानीय बेरोजगारों को भी क्या रोजगार दिया जायेगा ?
- ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के समाधान के लिये कंपनी के द्वारा क्या कार्य किया जायेगा ?
- नगर, क्षेत्र, गांव के हित के लिये कंपनी द्वारा क्या किया जायेगा ?

4. **श्री आर. श्रीधर, एटक सचिव, नंदिनी माइन्स, जिला–दुर्ग।**

- सेल मोईल कंपनी का स्वागत करते हैं और सकारात्मक सहयोग देने का वादा करते हैं।
- उत्पादन प्रक्रिया से प्रदूषण नियंत्रण पर प्रबंधन द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी ?
- पानी की व्यवस्था कहां से की जायेगी ?
- संयंत्र पावर प्लांट लगाती है, तो वह कितने मेगावाट की होगी तथा प्रदूषण नियंत्रण पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?
- उद्योग को उपयोग हेतु दी गई जमीन बीएसपी की है, अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता पड़ने पर उसकी व्यवस्था कहां से की जायेगी ?
- श्रमिकों की भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये ?

5. **श्री राजू लाल श्रेष्ठ, एटक, नंदिनी माइन्स, जिला–दुर्ग।**

- संयंत्र में उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी स्थितियों पर प्रबंधन का क्या दिशा निर्देश होगा ?
- पीने के उपयोग हेतु पानी कहां से लिया जायेगा ? यदि खंती, तालाब का पानी लिया जाता है तो नंदिनी माइन्स को आपूर्ति प्रभावित होगी क्योंकि माइन्स की टाउनशिप में इस तालाब का पानी प्रदाय किया जाता है।
- आसपास के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ? ठेका रूप में हो या रेग्युलर कुल कितनी संख्या होगी यह बतावें ?
- संयंत्र में कितने direct/indirect आदमी लिये जायेंगे ?
- कुशल/अकुशल/अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी ?
- निर्माण/उत्पादन प्रक्रिया में क्या स्थानीय लोगों को लिया जाएगा या नहीं ?

6. **श्री अजय वासनिक, अहिवारा, जिला–दुर्ग।**

- प्लांट खुलने से खेतों में प्रदूषण होगा, प्रबंधन द्वारा इसकी क्या व्यवस्था की जायेगी ?
- ट्रांसपोर्ट होने पर बाहरी लोग अधिक आते हैं, अतः स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाये।
- उद्योग चालू होने पर ट्रांसपोर्ट का कार्य स्थानीय लोगों को दिया जायेगा या नहीं ?

7. **श्री ओमी कुमार महिलांग, अहिवारा, जिला–दुर्ग।**

- स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।
- प्रदूषण पर नियंत्रण हो।
- पानी की समुचित व्यवस्था हो।

8. डॉ0 शोभाराम बंजारे, ग्राम– गिरहोला, जिला–दुर्ग।

- नंदिनी माइन्स में सेल का क्रशर प्लांट लगा है, जिससे लाईम स्टोन का दोहन हो चुका है।
- क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है।
- स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।
- वेलफेयर फण्ड का समुचित उपयोग हो।
- ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार स्थानीय लोग हों।
- किसानों के फसल नुकसानी पर उन्हें मुआवजा दिया जाये।
- अहिवारा आर.आई. सर्कल में बच्चों को प्रोफेशनल शिक्षा देने हेतु व्यवस्था नहीं है। ऐसे बच्चों को गोद लिया जाये और पूरा खर्चा उठाया जाये।
- पानी हेतु स्वयं का रिसर्वायर होना चाहिए।

9. श्री नरेश तिवारी , खदान मजदूर संघ अध्यक्ष ग्राम– नंदिनी, जिला–दुर्ग।

- प्लांट लगने पर ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति क्या रहेगी ?
- रेलवे लाईन सिंगल लाईन है, जे.के.लक्ष्मी प्लांट बनने वाला है, जिससे इस रेल लाईन पर लोड पड़ेगा। अतः क्या दूसरी लाईन की व्यवस्था की जायेगी ?
- स्थानीय बेरोजगारों को पहली प्राथमिकता दी जाये।
- अपने जिले से तकनीकी क्षेत्र में दक्ष लोगों को नौकरी पर लिया जाये।
- पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ने पर स्थानीय किसानों को क्या मुआवजा दिया जायेगा ?

10. श्री अभिषेक सिंह, अहिवारा, जिला–दुर्ग।

- यहां पर बीएसपी का ही स्कूल है। इसके अलावा कोई प्रोफेशनल कॉलेज जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, जिसके कारण पढ़ाई करने के लिये बाहर जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोला जाये।

11. श्री दयाशंकर तिवारी , समाजसेवी संस्था सदस्य नंदिनी, जिला–दुर्ग।

- हर हाथ को रोजगार मिले, जिससे बेरोजगारी दूर हो।
- प्रदूषण की समस्या से स्थानीय लोगों एवं किसानों को नुकसान न हो ऐसी व्यवस्था कंपनी द्वारा लगाई जाये।
- शिक्षा की व्यवस्था की जाये। वेलफेयर फण्ड का समुचित उपयोग हो।

12. श्री मानिकलाल साहू, अहिवारा, जिला–दुर्ग।

- सेल बीएसपी प्लांट सन् 1956 से लगा है। सेल मोईल प्लांट लगने से क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं क्या अहिवारा का विकास होगा ?
- सिर्फ कागजी कार्यवाही हो रही है।
- प्रदूषण बढ़ेगा तो आसपास के खेत बंजर हो जायेंगे।
- अभी से जल स्त्रोत घट गया है, उसका प्रबंधन द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी।

13. श्री सेन्टी, नंदिनी नगर, जिला–दुर्ग।

- आज तक इस क्षेत्र में खेल के विकास के लिये कोई कार्य नहीं किया गया।
- क्या अभी खुल रही कंपनी द्वारा खेलों को बढ़ावा देगी ?
- यदि हां तो कौन कौन सी सुविधायें दी जायेगी ?

14. श्री अशोक बारले, बानबरद– अहिवारा, जिला–दुर्ग।

- बीएसपी ने भी बहुत बड़ा वादा किया था, कि यहां सामाजिक गतिविधियों में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिये कार्य किया जायेगा। आज बीएसपी मुख्य मार्ग ठीक नहीं कर पाई।
- आज सेल मोईल कंपनी इतनी बड़ी बाते कर रही है उसको पूरा करेगा या नहीं उसकी क्या गारंटी है ?
- बीएसपी द्वारा लगाये गये पेड़ आज स्थानीय जनता कांटकर ले जा रही है, उस पर नियंत्रण हेतु प्रबंधन क्या व्यवस्था करेगी ?
- बीएसपी द्वारा ड्राइवर, चपरासी तक के लिये आल इंडिया बेसिस पर वेकेन्सी मंगाई जाती है, तो क्या इस उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा ?
- पर्यावरण के संबंध में जो जानकारी दी गई है उसकी एक प्रति उपस्थित जनों को उपलब्ध कराई जाये।

15. स्टालिन सैमुअल , नंदिनी, जिला–दुर्ग।

- यदि रेलवे ट्रैक का डायवर्सन होता है तो कहां से होगा एवं इसके किनारे रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं तो उनका क्या होगा ?

16. पुनः श्री रविशंकर सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष , अहिवारा जिला–दुर्ग।

- स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इसके लिये आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन किया जायेगा।
- संयंत्र की स्थापना/निर्माण कार्य कब आरंभ किया जायेगा उसकी समुचित जानकारी दी जायेगी।

लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार एवं आपत्तियों के परिपेक्ष्य में उद्योग का पक्ष रखने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा उद्योग प्रबंधन को निर्देशित किया गया। उद्योग के प्रतिनिधि श्री अरविन्द शुक्ला द्वारा लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार व आपत्तियों का उद्योग के तरफ से पक्ष रखा गया/समाधान किया गया जो कि निम्नानुसार है :–

- भारत शासन एवं राज्य शासन के सभी अधिनियमों एवं नियमों का पालन किया जायेगा।
- पेड़ों की कटाई नहीं की जायेगी बल्कि 35 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा।
- जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च्च तकनीकी व्यवस्था की जायेगी।
- सी.एस.आर. के लिये नियमानुसार व्यय किया जायेगा। हमारी भागीदारी विकास के विभिन्न कार्यो में होगी। राज्य शासन या केन्द्र शासन के विकास कार्यो में हम सहभागी बनेंगे।

- ❖ रोजगार के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। हम इस संबंध सभी शासकीय नियमों का पालन करेंगे। शासकीय नियमों के अनुसार यदि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है तो हम इसका पालन करेंगे।
- ❖ पावर प्लांट लगाने की योजना नहीं है। सारा पावर छ.ग. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लिया जायेगा।
- ❖ अतिरिक्त भूमि की अभी आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता होगी तो हम अपने पार्टनर सेल से उनके द्वारा अधिग्रहित भूमि पर लेने की प्रार्थना की जायेगी।
- ❖ हमारी परियोजना से जल प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। दूषित जल निस्सारित नहीं होगा तथा कृषि पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ❖ वायु प्रदूषण की भी स्थिति निर्मित नहीं होगी क्योंकि इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ रेलवे ट्रेक जो वर्तमान में है, इसमें अभी वर्तमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में मे0 राईट्स कंपनी (RITES) से बातचीत चल रही है, जो शैश्वावस्था में है।

लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 23.03.2011 को लिखित में 05 आवेदन प्राप्त हुए। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1	श्री रविशंकर सिंह, अध्यक्ष, कारखाना निर्माण संघर्ष समिति, गुरूद्वारा के पास, वार्ड नं.–13, नंदिनी नगर, दुर्ग (छ.ग.)।	सेल मोईल कंपनी के खुलने से हम क्षेत्रवासी स्वागत करते हैं।
2	श्री आर. श्रीधर, सचिव, संयुक्त खदान मजदूर संघ, नंदिनी माइन्स, जिला–दुर्ग।	1. संयंत्र के उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली दूषित जल तथा पर्यावरण के संबंध में प्रबंधन का उचित व्यवस्था क्या है ? 2. संयंत्र में खपत होने वाली पानी व बिजली कहां से आयेगी ? संयंत्र का उत्पादन क्षमता क्या होगी ? 3. संयंत्र में उपयोग में लाने वाली जमीन बीएसपी में उपलब्ध जमीन के अतिरिक्त किससे खरीदा जायेगा ? 4. स्थापित संयंत्र में स्थायी श्रमिकों की भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की नीति प्रबंधन की है या नहीं ?
3	श्री सुरेश कुमार, अध्यक्ष, नंदिनी कामगार श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, नंदिनी नगर, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग।	1. उक्त संयंत्र के उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली प्रदूषण तथा पर्यावरण के संबंध में प्रबंधन का उचित व्यवस्था क्या है ? 2. संयंत्र में खपत होने वाला पानी तथा बिजली की व्यवस्था कहां से की जायेगी ? 3. अगर संयंत्र अपना पावर प्लांट लगाती है तो वह कितने मेगावाट का होगा तथा उससे उत्पन्न प्रदूषण को रोकने हेतु प्रबंधन क्या व्यवस्था करेगी ?

		4. संयंत्र में उपयोग में लाने वाली जमीन बीएसपी में उपलब्ध जमीन के अतिरिक्त किससे खरीदा जायेगा ? 5. स्थापित संयंत्र में स्थायी तथा अस्थायी श्रमिकों की भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की नीति प्रबंधन की है या नहीं?
4	श्री ओमी महिलांग, धमधा विधायक, अहिवारा	1.स्थानीय अकुशल व कुशल नौजवानों को नौकरी दी जाये। 2. कृषि में प्रदूषण होगा, उसकी क्षतिपूर्ति व्यवस्था। 3. आसपास के 10 किमी. के क्षेत्र में कंपनी द्वारा सामाजिक संरचना किया जाये।
5	श्री आर.बी.के. राव, सलाहकार, इंटक भिलाई नंदिनी माइन्स। मे0 मेटल माइन्स वर्कर्स यूनियन (इंटक), नंदिनी माइन्स नंदिनी, दुर्ग।	संयुक्त उपक्रम फेरो एलायज प्लांट द्वारा नंदिनी अहिवारा में स्थापित होने की स्थिति में डस्ट, केमिकल के द्वारा वायु मण्डल में होने वाला नुकसान बाबत्।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामीणों में से कुल 117 लोगों से हस्ताक्षर लिये गये। लोक सुनवाई के अंत में श्री ए0 सी0 मालू , क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, श्री जे.पी.पाठक द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

(ए0 सी0 मालू)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(श्री जे.पी.पाठक)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–दुर्ग